

कार्यालय:-श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागर म0प्र0

क्रमांक- /सीजेएम/ 2023

सागर, दिनांक-01.04.2023

वीडियो कान्फेसिंग ड्यूटी

माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक-बी/5379 भा.2.5/14 जबलपुर दिनांक-9.10.17 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सागर के पृष्ठांकन क्रमांक-4145(दो-6-5)14 सागर दिनांक-11.10.17 के परिपालन में जिला न्यायालय एवं केन्द्रीय जेल सागर के मध्य वीडियो कान्फेसिंग सुविधा विधिवत रूप से संचालित किये जाने हेतु मैं श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर म0प्र0 न्यायालयीन कार्य दिवसों में अपराह्न 2.30 बजे से 2.45 बजे के मध्य अप्रैल-2023 में निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मुख्यालय सागर की वीडियो कान्फेसिंग ड्यूटी नियत करती हूँ:-

माह-अप्रैल 2023

क.	कॉलम-2	कालम नं 03 वीडियो कान्फेसिंग कार्य दिनांक
		माह अप्रैल-2023
1.	श्री हर्षवर्धन धाकड़	1
2.	सुश्री आयुषी उपाध्याय	3
3.	सुश्री सोनम रघुवंशी	5
4.	श्री आशीष शर्मा जूनियर	6
5.	श्री आशीष शर्मा, सीनियर	8,13,20,
6.	श्रीमती मीनू पचौरी दुबे	10,17,20,25,28
7.	सुश्री प्रीति ठाकुर	11,18,21,26,29
8.	श्री राहुल सोनी	12,19,24,27

नोट-1. संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति की दशा में वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अनुपस्थित मजिस्ट्रेट का प्रभार होगा, उनके द्वारा वीडियो कान्फेसिंग करवाई जावे एवं विशेष परिस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित मजिस्ट्रेट वीडियो कान्फेसिंग ड्यूटी संपादित करेंगे। कॉलम नं0 2 में दर्शित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने की दशा में वह प्रभारी मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देंगे।

नोट:-2. संबंधित मजिस्ट्रेट वीडियो कान्फेसिंग रूम में समय से उपस्थित होकर जेल में निरूद्ध बंदियों की उपस्थिति वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से कराकर उक्त आशय की टीप वारंट एवं पत्रावली पर दर्ज करेंगे एवं संबंधित न्यायालय के निष्पादन लिपिक जेल

वांरट एवं रिमांड पत्रावली के साथ निर्धारित समय पर वीडियो कान्फ्रेसिंग रूम में उपस्थित रहेंगे।

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजि० सागर

प्रतिलिपि :

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सागर ।
2. संबंधित समस्त मजिस्ट्रेटगण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जूनियर एनॉलिस्ट, सर्वर रूम जिला न्यायालय सागर म०प्र० को आवश्यक रूप से संबंधित न्यायिक अधिकारियों को मेल द्वारा सूचित करने हेतु एवं वीडियो कान्फ्रेसिंग के लिए निर्धारित समय से पूर्व सिस्टम को चैक कर चालू करने एवं कार्यवाही पूर्ण करने में सहयोग हेतु।
4. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल सागर म०प्र० को सूचनार्थ।

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजि० सागर